

फर्द अहकाम

(निगम 26)

अज अवलत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)


जगदीश पिता नाथू बलाई नि. मनोहरगढ

बनाम

रमेश पिता शोराज गीणा नि. मनोहरगढ वगैरा

किरम मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 869/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
09.11.21	<p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गोंदों के रांग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम मनोहरगढ प. ह. ईन्दुन्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 67 रकबा 1.05 बीघा, आ.न. 68 रकबा 0.11 बीघा, आ.न. 411 रकबा 0.17 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी अप्रार्थीगण है। जो कि प्रार्थी के साथ सीमा को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है। उक्त आराजी के पडोसी होकर अपनी आराजी का सही सीमा ज्ञान नहीं होने के कारण आये दिन फसल बुआई कटाई के समय अनावश्यक विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बन्ध 2070 से 2073 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। पडोसियान के विवाद करने वास्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम मनोहरगढ प. ह. ईन्दुन्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 67 रकबा 1.05 बीघा, आ.न. 68 रकबा 0.11 बीघा, आ. न. 411 रकबा 0.17 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 09.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)